रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2011/फाल्गुन 16, 1932
No. 46] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2011/PHALGUNA 16, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

सं. 322/8/2010-सीए.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के अंतर्गत इसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (संशोधन) विनियम, 2011

(2011 का 2)

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) के विनियम 8 में,—

(क) उप-खंड (ख) में, "दो प्रतिनिधि" शब्दों के स्थान पर "पांच प्रतिनिधि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ख) उप-खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घक) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत पंजीकृत और इस नाते एक पंजीकृत सोसाइटी होने के कारण इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन्स ऑफ इंडिया (आईएसपीएआई) का एक प्रतिनिधि अथवा इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाले इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के ऐसे ही अन्य एसोसिएशन द्वारा नामांकित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि, जैसाकि इन विनियमों के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाए —सदस्य;"

(ग) उप-खंड (च) में, "आर्थिक प्रभाग के प्रभारी होने के नाते" शब्दों के स्थान पर "आर्थिक विनियमन प्रभाग के प्रभारी होने के नाते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उप-खंड (छ) में, "विनियामक प्रवर्तन प्रभाग के प्रभारी होने के नाते" शब्दों के स्थान पर "विनियामक प्रवर्तन के प्रभारी होने के नाते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) उप-खंड (ज) में, "सेवा गुणवत्ता प्रभाग के प्रभारी होने के नाते" शब्दों के स्थान पर "उपभोक्ता मामलों के प्रभारी होने के नाते" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

आर. के. आर्नल्ड, सचिव
[विज्ञापन III/4/142/10-असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम अधिसूचना संख्या 322/4/2006-क्यूओएस (सीए) दिनांक 15 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित हुए थे ।

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (संशोधन) विनियम, 2011 के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 15 जून, 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) अधिसूचित किए थे । विनियमों के निबंधनों के अनुसार, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि" नामक एक निधि सृजित की गई है । निधि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग एक समिति की सिफारिश पर दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए किया जाता है ।

2. दूरसंचार शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति (सीयूटीसीईएफ) में भादूविप्रा के अधिकारी, भादूविप्रा के पास पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों में से भादूविप्रा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रतिनिधि, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) के दो प्रतिनिधि तथा एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) के दो प्रतिनिधि शामिल हैं ।

3. चूंकि निधि से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग विभिन्न उपभोक्ता-केन्द्रित क्रियाकलापों, जैसे दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन, उपभोक्ता कल्याण के विषय पर सम्मेलन, कार्यशालाएं आदि आयोजित करने तथा दूरसंचार के क्षेत्र में उपभोक्ता शिक्षा के लिए किया जाता है, यह आवश्यक समझा गया है कि उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर के 5 क्षेत्रों से, प्रत्येक क्षेत्र में से एक-एक प्रतिनिधि को नामांकित करके उपभोक्ता हितैषी समूहों (सीएजी) को भी समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए । यह संशोधन सीयूटीसीईएफ के पुनर्गठन को सुकर बनाएगा, जिसमें भादूविप्रा के पास पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों से पांच प्रतिनिधि शामिल हो जाएंगे ।

4. ब्रॉडबैंड की पैठ में और भी अधिक वृद्धि होने की संभावना है तथा दूरसंचार परिदृश्य में ब्रॉडबैंड और अधिक व्यापक भूमिका का निर्वहन करेगा । अतः यह आवश्यक है कि इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाले सेवा प्रदाताओं को भी सीयूटीसीईएफ में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए । तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएसपीएआई) का अथवा देश में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने वाले किसी अन्य संघ के एक प्रतिनिधि को भी समिति में शामिल किया जाए ।

5. पूर्व में, उपभोक्ता मामलों से संबंधित कार्य सेवा गुणवत्ता के प्रभारी सलाहकार द्वारा देखा जाता था । अब उपभोक्ता मामलों के निपटान के लिए एक अलग प्रभाग सृजित किया गया है । कुछ अन्य प्रभागों के नामों में भी परिवर्तन हुआ है । प्राधिकरण के सचिवालय के पुनर्गठन के कारण अन्य संशोधन आवश्यक हो गए हैं ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2011

No. 322-8/2010-CA.—In exercise of the powers conferred under Section 36, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) namely :—

TELECOMMUNICATION CONSUMERS EDUCATION AND PROTECTION FUND (AMENDMENT) REGULATIONS, 2011

(2 of 2011)

1. (1) These regulations may be called Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Amendment) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 8 of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007),—

(a) in sub-clause (b), for the words "two representatives", the words "five representatives" shall be substituted;

(b) after sub-clause (d) the following sub-clause shall be inserted, namely :—

"(da) one representative of Internet and Broadband service providers to be nominated by Internet Service Providers Associations of India (ISPAI), being a registered society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or one representative to be nominated by such other association of Internet and Broadband service providers, providing

Internet and Broadband services, as may be approved for the purposes of these regulations by the Authority. —Member;"

(c) in sub-clause (f), for the words "being in-charge of the Economic Division", the words "being in-charge of the Economic Regulation Division" shall be substituted;

(d) in sub-clause (g), for the words "being in-charge of the Regulatory Enforcement Division", the words "being in-charge of regulatory enforcement" shall be substituted;

(e) in sub-clause (h), for the words "being in-charge of the Quality of Service Division", the words "being in-charge of consumer affairs" shall be substituted.

R. K. ARNOLD, Secy.

[ADVT III/4/142/10-Exty.]

Note 1 : The principal regulations were published *vide* Notification No. 322/4/2006-QoS (CA) dated the 15th June, 2007.

Note 2 : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (First Amendment) Regulations, 2011.

EXPLANATORY MEMORANDUM

Background :

The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) on 15th June, 2007. In terms of the Regulations, a fund called 'Telecommunication Consumers Education and Protection Fund' has been created. The income from the Fund is utilised to undertake programmes to educate consumers of the telecommunication services on the recommendation of a committee.

2. The Committee for Utilisation of Telecommunication Education and Protection Fund (CUTCEF) consists of officers from TRAI, two representatives nominated by the Chairperson of TRAI from amongst voluntary consumers organisations registered with TRAI, two representatives of Cellular Operators Association of India (COAI) and two representatives of the Association of Unified Telecom Service Providers of India (AUSPI).

3. Since the income from the Fund is utilised on various consumer centric activities such as consumer education programmes about various measures taken by the Telecom Regulatory Authority of India for protecting the interest of consumers of telecommunication services, to organize seminars, workshops etc., on the subject of consumer welfare and consumer education in the field of telecommunication, it is considered expedient to give equal representation to the CAGs in the Committee by nominating one representative each from the 5 regions of North, South, West, East and North East. The amendment will facilitate re-constitution of CUTCEF with five representatives from voluntary consumer organizations registered with TRAI.

4. Penetration of Broadband is likely to be increased and broadband would play a much wider role in the upcoming telecom scenario. It would, therefore, be necessary to give adequate representation in the CUTCEF to the service providers providing Internet and Broadband services. Accordingly, it has been decided to include one representative of Internet Service Providers Association of India (ISPAI) or any other association providing Internet and Broadband services in the country in the Committee.

5. Earlier the work relating to consumer affairs was looked after by Advisor in-charge of Quality of Service. Now, a separate division has been created for handling consumer affairs. The names of some other divisions have also undergone changes. The other amendments are necessitated on account of restructuring of the secretariat of the Authority.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.